

प्रेषक, **श्री यज्ञवीर सिंह चौहान,**  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।  
सेवा में, **1. समस्त मण्डलायुक्त,**  
उत्तर प्रदेश।  
**2. समस्त जिलाधिकारी,**  
उत्तर प्रदेश।  
**3. उपाध्यक्ष,**  
विकास प्राधिकरण,  
लखनऊ/देहरादून।

आवास अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक :18 फरवरी,1999

**विषय, नजूल भूमि के फ्री-होल्ड के सम्बन्ध में।**

महोदय,

आप अवगत हैं कि नजूल भूमि की फ्री-होल्ड नीति शासनादेश संख्या-2268/-आ-4-98-एन/97 दिनांक 1 दिसम्बर, 1999 से लागू की गई तथा इस शासनादेश के प्रस्तर-2 (1) में नि जनपदों में दिनांक 30.11.91 के सर्किल रेट दिनांक 30.1.90 से 29.11.91 के मध्य परिवर्तित हुए हैं, वहाँ फ्री-होल्ड के मूल्य में 30 प्रतिशत की अतिरिक्त रियायत भी अनुमन्य की गई है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में यह तथ्य आये हैं कि कतिपय जनपदों में जहाँ 30.11.91 के सर्किल रेट 29.11.91 से 30.11.90 के मध्य परिवर्तित हुए हैं वहाँ 30 प्रतिशत की छूट देने के उपरान्त 30.11.91 का सर्किल रेट, 30.11.91 के पूर्व निर्धारित सर्किल रेट से भी कम हो जाता है। अतः शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि जिन जनपदों में दिनांक 30.11.91 के सर्किल रेट 30 प्रतिशत की छूट देने के उपरान्त पूर्व निर्धारित सर्किल रेट से भी कम हो जाता है तो वहाँ 30.11.91 के सर्किल रेट में 30 प्रतिशत की छूट नहीं दी जायेगी।

कृपया तदनुसार फ्री-होल्ड प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

**यज्ञवीर सिंह चौहान**  
विशेष सचिव

संख्या-245(1)/9-आ-4-99 तद दिनांक

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1). समस्त स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
- (2). वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-6।
- (3). गोपन अनुभाग-1
- (4). गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
**यज्ञवीर सिंह चौहान**  
विशेष सचिव